कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

सख्याः 4099 /XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनाक 31 दिसम्बर, 2018.

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय
उत्तराखण्ड।

विषयः– सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री मुकेश सिंघल, मुख्य शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2357/वि0स0/94/सू0का अधि0/2018 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के साथ संलग्न डा0 प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, कपिल कॉलोनी, मुखानी हल्द्वानी (नैनीताल) के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 01–12–2018 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B S Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्याः 4099 / XXV–12(P-7)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि डा0 प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, कपिल कॉलोनी, मुखानी हल्द्वानी (नैनीताल) को सूचनार्थ प्रेषित।

B S Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2017

Received
26/12/018

पंजीकृत

सूचना का अधिकार

विधान सभा सचिवालय
उत्तराखण्ड

(सूचना का अधिकार)
संख्या:2357/वि0स0/94/सू0 का अधि0/2018
देहरादून, दिनांक : 21 दिसम्बर, 2018

लोक सूचना अधिकारी,	**लोक सूचना अधिकारी,**
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,	**राज्य निर्वाचन आयोग,**
उत्तराखण्ड शासन।	**उत्तराखण्ड।**

डा0 प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, कपिल कॉलोनी, मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) का सूचना आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2018 जो इस सचिवालय में दिनांक 20.12.2018 को प्राप्त हुआ है, को आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) की व्यवस्थानुसार इस आशय से अन्तरित किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना आपके विभागों से सम्बन्धित प्रतीत होती है।

कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
संलग्नक: **उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,
21/12/18

(मुकेश सिंघल)
मुख्य शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी।

संख्या:2357 वि0स0/94/सू0 का अधि0/2018 तद्दिनांक।.

प्रतिलिपि:

1. डा0 प्रमोद अग्रवाल गोल्डी, कपिल कॉलोनी, मुखानी, हल्द्वानी (नैनीताल) को इस आशय से प्रेषित की वांछित सूचना इस कार्यालय में धारित नहीं है। सूचना लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन तथा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित प्रतीत होती है। तद्नुसार आपका सूचना का अनुरोध पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार अन्तरित कर दिया गया है।

उपरोक्त संबंधित लोक सूचना अधिकारी से यदि आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है, अथवा उनके द्वारा दी गई सूचना से सन्तुष्ट न हों, तो कृपया संबंधित कार्यालय के विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

(मुकेश सिंघल)
मुख्य शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी।

इण्डिया बुक ऑफ रिकार्डस् विजेता

डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी

(एम.कॉम. स्वर्ण पदक, पीएच.डी.वाणिज्य)

प्रदेश प्रवक्ता: आर.टी.आई. कार्यकर्ता क्लब ऑफ उत्तराखण्ड

प्रदेश प्रवक्ता: उत्तरांचल प्रदेश अग्रवाल महासभा उत्तराखण्ड

We Serve

अध्यक्ष: लायन्स क्लब हल्द्वानी ग्रीनसिटी एवं कादम्बिनी साहित्य क्लब हल्द्वानी

सदस्य: वैट सलाहकार समिति उत्तराखण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष: प्रान्तीय नगर उद्योग व्यापार मण्डल

पता: कपिल कॉलोनी मुखानी हल्द्वानी अथवा नैनीताल रोड हल्द्वानी (उत्तराखण्ड)

क्रमाँक 4004/2018 दिनाँक 01.12.2018

सेवा में लोक सूचना अधिकारी,
विधानसभा सचिवालय UK, देहरादून | UK निर्वाचन आयोग देहरादून

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संलग्न पोस्टल आर्डर रु. 10/ क्रमाँक 43F-706476 के आधार पर कृपया निम्न जानकारी देने की कृपा करें।

① UK राज्य निर्माण 9 Nov 2000 से Dec 2018 तक की अवधि के बीच कुल कितनी बार आचार संहिता लगायी गयी — संख्या बतायें

② कुल कितने दिन हेतु Nov 2000 To Dec 2018 तक (दिनों की संख्या – वर्षवार) आचार संहिता रही

③ उक्त आचार संहिता MP, MLA, नगरपालिका, नगरनिगम, पंचायत, उपचुनाव आदि के संदर्भ में लागू करने की दशा में, जानकारी देवें

01.12.2018

(MOB: 9458961420)
9410-70786

क्रम संख्या–06

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 20 जनवरी, 2017 ई0

पौष 30, 1938 शक सम्वत्

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

संख्या 464 / भा0नि0आ0 / क्षे0 / उ0अनु0–2 / उत्तरा0–वि0स0 / 2017

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

अधिसूचना

सं0 464/भा0नि0आ0/क्षे0/उ0अनु0-2/उत्तरा0-वि0स0/2017:- यतः उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन जारी तथा 20 जनवरी, 2017 (शुक्रवार) को राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधो के अनुसार राज्य की विधान सभा के लिए सदस्य निर्वाचित करें;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः-

(अ) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नियत करता है:-

(क)	नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख	27 जनवरी, 2017 (शुक्रवार);
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	30 जनवरी, 2017 (सोमवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	01 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा।	15 फरवरी, 2017 (बुधवार);
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा।	15 मार्च, 2017 (बुधवार); और

उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में 3 मई 2018 को प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिनांकः 3 मई, 2018
13 बैशाख, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं0 100/भा0नि0आ0/क्षे0/उत्तरा0–वि0स0/1/2017(उप)/उ0अनु0–2 :– यतः, उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में, **05–थराली (अ0जा)** विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र से निर्वाचित, श्री मगन लाल शाह का स्थान उनके त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप 25 फरवरी, 2018 को रिक्त हो गया है :और

2 यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराया जाना है;

3 यतः, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1)और (2) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में,भारत निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा :–

(अ) उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में **05–थराली (अ0जा)** विधानसभा निर्वाचन–क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 2 जून, 2018 (शनिवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उत्तराखण्ड राज्य से संबंध रखने वाले अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में–––

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	10 मई 2018 (वीरवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	11 मई, 2018 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	14 मई, 2018 (सोमवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	28 मई, 2018 (सोमवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	2 जून, 2018 (शनिवार)

नियत करता है:, और

(इ) **8.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे** अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

(राहुल शर्मा)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में –

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 22 सितम्बर, 2012 (शनिवार);

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 24 सितम्बर, 2012 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 26 सितम्बर, 2012 (बुधवार);

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा : 10 अक्तूबर, 2012 (बुधवार); और

(ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 16 अक्तूबर, 2012 (मंगलवार);

नियत करता है; **और**

(इ) **8.00 बजे पूर्वाह्न** से **5.00 बजे अपराह्न** तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

आदेश से,
शंगारा राम,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 100/U.K.D.-HP/1/2012
Dated New Delhi, September 15, 2012

NOTIFICATION

No. **100/UKD-HP/1/2012:- WHEREAS,** the seat of **Shri Vijay Bahuguna,** in the House of the People elected from **1-Tehri Garhwal Parliamentary Constituency,** in the State of Uttarakhand, has become vacant on 23rd July, 2012 by the reason of his **resignation;** and

प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली की 05–थराली (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु दिनांक 26 अप्रैल, 2018 को प्रेस नोट जारी कर कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, जो निम्न प्रकार है:–

1.	अधिसूचना जारी करने की तिथि	03 मई, 2018 (बृहस्पतिवार)
2.	नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	10 मई, 2018 (बृहस्पतिवार)
3.	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	11 मई, 2018 (शुक्रवार)
4.	अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख	14 मई, 2018 (सोमवार)
5.	मतदान की तारीख	28 मई, 2018 (सोमवार)
6.	मतगणना	31 मई, 2018 (बृहस्पतिवार)
7.	वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी।	02 जून, 2018 (शनिवार)

2– आयोग के निर्देशों के अनुरूप उक्त उप निर्वाचन 01 जनवरी, 2018 की अर्हता की तिथि के आधार पर सम्पादित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरान्त दिनांक 20 जनवरी, 2018 को प्रकाशित फ़ोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जायेगा तथा उक्त उप निर्वाचन में EVMs और VVPATs का प्रयोग किया जायेगा। आयोग के निर्देशों के अनुरूप जनपद चमोली में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

दिनांक - 26 अप्रैल,2018

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

R
OIC

1A